सत्र प्र. क्र. 188/2019
साक्षी क्र. 8 डॉ. ओमेश भगत
शासन वि. आकाश साल्वे
II-157
C.J.

Witness no. ......**08**.........for ....Prosecution......................Deposition taken

the.**14.11.2024**..day of....................Witness's apparent age..........**35 वर्ष**

States on affirmation.......**शपथपूर्वक** ....My name is.......**डॉ. ओमेश भगत**

S of.....**जगरनाथ भगत** ......occupation....... **खण्ड चिकित्सा अधिकारी**

addres....... **सी.एच.सी. छुरिया, जिला राजनांदगांव छ.ग.**

समय 13.01 से

मुख्यपरीक्षण द्वारा सुश्री वर्षा जैन, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1– मैं वी.वाय. हॉस्पिटल कमल विहार रायपुर में सी.एम.ओ. के पद पर वर्ष 2017 से 2020 तक पदस्थ था। वर्तमान में मैं खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर सी.एच.सी. छुरिया में पदस्थ हूं।

2– दिनांक 25.05.2019 को थाना टिकरापारा के आरक्षक अभिषेक कुमार शर्मा क्र. 23/05 ने विनोद देवांगन को मुतर्जरर फार्म के साथ मुलाहिजा हेतु मेरे समक्ष पेश किया था। मैंने विनोद देवांगन का प्रारंभिक मुलाहिजा करने पर पाया था कि विनोद देवांगन के नाभि के नीचे किसी धारदार हथियार से 2.5x0.5 से.मी. गहरा घाव था, जो कि धारदार हथियार से घोंपा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट **प्र.पी. 06** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

3– दिनांक 12.07.2019 को थाना टिकरापारा द्वारा पत्र क्र. 887–ए/2019 को मेरे समक्ष पेश किया गया था, जिसमें अपराध क्र. 364/2019 धारा 307, 34 भा.द.सं. के अभियुक्त रामखिलावन नेताम से जप्त एक चाकू एवं टीशर्ट का मुलाहिजा कर रिपोर्ट प्रदान करने कहा गया था। उक्त स्टील की चाकू एवं सफेद टी–शर्ट का मुलाहिजा कर मैंने पाया कि उक्त स्टील के चाकू पर भूरे रंग का मूठ लगा हुआ था, जिसे रासायनिक परीक्षण के लिए संबंधित विभाग में भेजा गया

Witness no. ......**08**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

था एवं सफेद शर्ट जिसमें खून के दाग थे, उसे भी रासायनिक परीक्षण के लिए सलाह दी गयी थी, जिसकी रिपोर्ट **प्र.पी. 07** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

4– दिनांक 12.07.2019 को ही थाना टिकरापारा द्वारा पत्र क्र. 889–ए/2019 को मेरे समक्ष पेश किया गया था, जिसमें अपराध क्र. 364/2019 धारा 307, 34 भा.द.सं. पीडित विनोद देवांगन से जप्त कमीज का मुलाहिजा कर रिपोर्ट देने हेतु कहा गया था, जिस पर मेरे द्वारा गुलाबी रंग का शर्ट पाया गया जो रक्तरंजित था, जिसे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजने की सलाह दी गयी, जो **प्र.पी. 08** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

5– दिनांक 12.07.2019 को ही थाना टिकरापारा द्वारा पत्र क्र. 886–ए/2019 को मेरे समक्ष पेश किया गया था, जिसमें अपराध क्र. 364/2019 धारा 307, 34 भा.द.सं. को अभियुक्त आकाश साल्वे तथा अभियुक्त रामखिलावन से एक–एक जप्तशुदा चाकू का परीक्षण कर रिपोर्ट देने कहा गया था, साथ ही पीडित को आयी चोटें जप्त चाकू से आ सकती है, पर अभिमत मांगा गया था, जिस पर मेरे द्वारा व्यक्त किया गया था कि जप्तशुदा चाकू से उक्त चोट आ सकती है। उक्त रिपोर्ट **प्र.पी. 09** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

6– दिनांक 12.07.2019 को ही थाना टिकरापारा द्वारा पत्र क्र. 888–ए/2019 को मेरे समक्ष पेश किया गया था, जिसमें अपराध क्र. 364/2019 धारा 307, 34 भा.द.सं. में अभियुक्त आकाश साल्वे से एक टी–शर्ट सफेद–काले वाली एवं एक स्टील चाकू के परीक्षण कर रिपोर्ट देने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसमें मैंने पाया कि उक्त टीशर्ट में खून के धब्बे थे, जिसे रासायनिक परीक्षण के लिए भेजने की सलाह दी गयी थी। साथ ही स्टील चाकू पर पीले कलर का मूठ लगा हुआ था, जिसे भी रासायनिक परीक्षण हेतु भेजने की सलाह दी गयी थी । उक्त रिपोर्ट **प्र.पी. 10** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

सत्र प्र. क्र. 188/2019
साक्षी क्र. 8 डॉ. ओमेश भगत
शासन वि. आकाश साल्वे
II-157
C.J.

Witness no. ......08..........for ....Prosecution......................Deposition taken

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री यू.के. पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त विरेंद्र

7– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आहत विनोद देवांगन का चोटों की जांच की गयी थी, इसके अतिरिक्त मैंने आहत विनोद देवांगन का कोई इलाज नहीं किया है। यह कहना सही है कि आहत विनोद देवांगन हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराना चाहता था, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज टिकिट नहीं दी गयी है एवं आहत का प्राथमिकी कराकर हॉस्पिटल से चला गया था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्र.पी. 07, प्र.पी. 08, प्र.पी. 09 एवं प्र.पी. 10 में जप्तशुदा कपड़े एवं चाकू का रासायनिक परीक्षण करने हेतु सलाह दिया जाकर लाये गये आरक्षक को वापस कर दिया था, इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा और कोई कार्यवाही इस मामले में नहीं की गयी है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री वी.के. सैनी एल.ए.डी.सी. एस. वास्ते अभियुक्त नागेश

8– कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सैनी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रामखिलावन

9– कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमर यादव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त आकाश साल्वे

10– कुछ नहीं ।

समय 13.31 से

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।
सही/–
(लीलाधर साय यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।
सही/–
(लीलाधर साय यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर........................

Witness no. ......08.........for ....Prosecution......................Deposition taken

प्रमाण पत्र

पूर्वगामी कथन अभियुक्त की उपस्थिति में, जिसे कि साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया था, लिया गया । यह कथन साक्षी को समझाया गया तथा मेरे द्वारा उसकी उपस्थिति में प्रमाणित किया गया ।

सही/–
(लीलाधर साय यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.